

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना

पत्रांक:-प्र०-6/विविध-164/2010  
प्रेषक,

4390 (E) / पटना, दिनांक:- 31/7/17

लक्ष्मी नारायण दास,  
अभियंता प्रमुख,-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित)।  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।  
सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित)।  
पथ निर्माण विभाग  
सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमंडल सहित)।  
पथ निर्माण विभाग

विषय :- अन्य विभागों के संवेदको को कालीसूची में डाले जाने/मुक्त किये जाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा निम्न संवेदक को निबंधन को काली सूची में डाले जाने की सूचना दी गयी है, जो निम्न है।

क्र० सं०	संवेदक का नाम/ निबंधन संख्या	विभाग का नाम	ज्ञापांक एवं दिनांक	अभियुक्ति
1.	एन०सी०सी०लिमिटेड, निदेशक-श्री ए०बी० रंगा राजू, मुहल्ला-प्लॉट नं०-168, ए० रोड नं०-10, पोस्ट-जुवली हिल्स, जिला-हैदराबाद पिन-500034 निबंधन सं०-37/2011 (प्रथम श्रेणी)	जल संसाधन विभाग	ज्ञापांक-2714 दिनांक-18.07.2017	संवेदक के निबंधन को 10वर्षों के लिए काली सूची में डाला गया।

अनु०:-यथोक्त।

विश्वासभाजन



(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव  
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- प्र०-6/विविध-164/2010

4390 (E) पटना, दिनांक:- 31/7/17

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण)/कार्यपालक अभियंता (अनुश्रवण), पथ निर्माण विभाग को अनुलग्नक एवं CD सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(लक्ष्मी नारायण दास)  
अभियंता प्रमुख-सह-अपर  
आयुक्त-सह-विशेष सचिव,



बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

कम्प्यूटरीकृत आगत  
पंजीवन संख्या  
119398

आदेश सं० :- 11/ विविध - 06-21/2016.....दिनांक.....

आदेश

राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत पूर्वी गंडक नहर प्रणाली तथा गंडक बराज एवं इसके Appurtenants के समस्त कार्य से संबंधित एकरारनामा संख्या - IGR/2009-10 दिनांक 06.08.09 को संवेदक कम्पनी एन०सी०सी० लिमिटेड, हैदराबाद द्वारा सम्पादित किया गया। विभागीय उड़नदस्ता जॉचदल द्वारा दिनांक 25.04.2013 से 27.04.2013 के बीच उक्त कार्य के पैकेज संख्या - 3 के अंतर्गत ढाका शाखा नहर एवं इससे निःसृत नहर प्रणालियों के पुनर्स्थापन कार्य की जॉच की गई।

उड़नदस्ता जॉच दल के जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया कि ढाका शाखा नहर के वि०दू० 14.40 पर निर्माणाधीन C.D संरचना के संग्रहित निर्माण सामाग्रियों के जॉचफल में तीन ईट के नमूने में दो अदद ईट तथा पी०सी०सी०/आर०सी०सी० के नमूने के जॉचफल निर्धारित विशिष्टियों के अनुरूप नहीं पाये गये। पी०सी०सी०/आर०सी०सी० के नमूने के जॉचफल में सिमेंट एवं बालू 1:4.8 के अनुपात में पाया गया, जबकि विशिष्टि के अनुसार M20(1:1.5) के अनुपात में होना चाहिए। साथ ही कार्य से संबंधित बोर्ड लगाने के आदेश के अनुपालन में कुछ जगहों पर ही बोर्ड लगा हुआ पाया गया।

उपर्युक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 6582 दिनांक 27.12.16 द्वारा संवेदक से कारण - पृच्छा किया गया। इसके प्रत्युत्तर में संवेदक द्वारा दिनांक 20.01.2017 को समर्पित कारण-पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि कारण-पृच्छा का जबाब कारण-पृच्छा में उल्लेखित आरोप के विन्दुओ से ना होकर अन्य विन्दु से संबंधि है। संवेदक को कारण पृच्छा का जबाब देने का एक और मौका देते हुए पुनः पत्रांक 1176 दिनांक 20.03.17 से कारण पृच्छा किया गया। इसके प्रत्युत्तर में संवेदक द्वारा दिनांक 26.04.17 को समर्पित कारण-पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत पाया गया कि, कारण - पृच्छा का जबाब कारण - पृच्छा के आलोक में नहीं है।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि संवेदक का जबाब संतोषप्रद नहीं है और उनके विरुद्ध लगे आरोपों के लिए वे पूर्णतः दोषी हैं।

अतः संवेदक के कृत्य को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली - 2007 के नियम - 11(क)( ii) में प्रावधानित कदाचार की श्रेणी में प्रमाणित पाते हुए इनके निबंधन संख्या - 37/2011 (प्रथम श्रेणी) को दस वर्षों के लिए काली सूची में डाला जाता है।

ह०/-

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक..... दिनांक.....

स्पीड पोस्ट/निबंधित

प्रतिलिपि:- एन.सी.सी. लिमिटेड, निदेशक - श्री ए.बी.रंगा राजू, मुहल्ला - प्लॉट नं. - 168, ए. रोड नं० 10, पोस्ट - जुबली हिल्स, जिला - हैदराबाद, पिन - 500034 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)

ज्ञापांक..... 2714 ..... दिनांक..... 18.7.2017

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव/ सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना/ पथ निर्माण विभाग, पटना/ लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना/ भवन निर्माण विभाग, पटना/ लघु जल संसाधन विभाग, पटना/ ग्रामीण कार्य विभाग, पटना/ सभी मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग/ अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण योजन एवं मो० अंचल, पटना/ अधीक्षण अभियंता योजना एवं मो० अंचल 2 एवं 3 पटना/ निदेशक क्रय भंडार एवं सामाग्री प्रबंधन जल संसाधन विभाग बिहार, पटना/ आई.टी.मैनेजर को विभागीय, बेवसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख (मुख्यालय)